भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/66/2021/एफ0 सी0/935 दिनांकः 29/10/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ में माननीय घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अरकोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.915 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु 'लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 980/FP/UK/ ROAD/31411/2018 दिनांक 11-10-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2021 का उत्तर राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रेषित उत्तर में कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नाँकित अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

1. Enumeration में 0.28 हे0 वन क्षेत्र जो कि मलवा निस्तारण हेतु चयनित है पर वृक्षों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः पृथक से सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि कुल 743 वृक्षों (नाप भूमि के वृक्षों को सम्मिलित करते हुयें) में से 597 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें वन भूमि के कितने एवं नाप भूमि के कितने वृक्ष होंगे। अतः इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।
3. बिन्दु सं0 8 के सापेक्ष संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिनमें यह उल्लेखित है कि सी0ए0 हेतु चयनित भूमि 1000 पौधें प्रति है0 की दर से plantation हेतु उपयुक्त है, किन्तु न

तो DFO द्वारा site visit की गई है और ना ही वी0डी0एफ0 दर्शित होने के कारणो को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में वी0डी0एफ0 मान्य नहीं है। अतः guidelines के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

4. Reclamation plan भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कृपया Reclamation plan प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

29/10/24

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)